राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1185, 1186, 1187 व 1188/2017..............जिला – बीकानेर..............................

उनवान : मैसर्स मोहन लाल आशीष कुमार, बीकानेर.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>खण्डपीठ</u> **<u>श्री के. एल. जैन, सदस्य</u>** **<u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u>**	
05/10/2017	अपीलार्थी द्वारा ये चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 17, 18, 19 व 20/2017–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.08.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि 1.6.2015 को गंगानगर बाईपास, नोखा रोड़, बीकानेर पर वाहन संख्या आर.जे.19/जी.डी.–7585 व आर.जे.07/जीए–1577 को चैक किये जाने पर वाहन में 'डेयरी बेस्ट' ब्राण्ड़ देशी घी परिवहनित किया जाना पाना गया। इसी क्रम में दिनांक 02.06.2015 को व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की भी जांच की गयी, जिसमें व्यवहारी द्वारा उक्त माल की खरीद–बिक्री में भिन्नता पायी गयी। इस आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा व्यवहारी द्वारा उचन्ति बिक्री किया जाना अवधारित करते हुए उक्त दोनों वाहनों के सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व कर का आरोपण किया गया, साथ ही व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2014–15 व 2015–16 के भी वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61, 65 व 75(8) के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.05.2017 पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया जाकर; आरोपित कर व ब्याज की राशि पर स्थगन से इंकार किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :– लगातार............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1185, 1186, 1187 व 1188 / 2017...............जिला – बीकानेर..

उनवान : मैसर्स मोहन लाल आशीष कुमार, बीकानेर.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05 / 10 / 2017		

अपील संख्या	वाहन संख्या / कर निर्धारण वर्ष	आरोपित			योग
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
1185 / 17	RJ-19/GD-7585	2,79,900	–	16,79,400	19,59,300
1186 / 17	RJ-07/GA-1577	2,27,250	–	13,63,500	15,90,750
1187 / 17	2014–15	23,37,000	7,47,840	46,74,000	77,58,840
1188 / 17	2015–16	23,29,870	3,73,656	60,44,516	87,48,042

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त पाया कि प्रकरण में खरीद–बिक्री का बिन्दु विवादित होने से **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि की वसूली पर **दिनांक 05.12.2017 तक** इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के दो माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर